संख्या-36/2019/1374/22-2-2019-17(686)/2019

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2019***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चमन सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-20-11-2018 दिनांक 08-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चमन सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी-ढोलपुर, थाना-बहादुरगढ़, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड़ रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.10.1078 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, पलकटी व तमंचा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-123/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 23.11.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2018 तक 05 वर्ष 11 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है एवं **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा** बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी चमन सिंह (बन्दी संख्या-8016/12) पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-36/2019/1374/22-2-2019 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in